

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2021/ 773

दिनांक: 29.01.2021

प्रेस-नोट

झुंझुनू जिले की नगरपालिका विद्याविहार के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा।

झुंझुनू जिले की नगरपालिका विद्याविहार का कार्यकाल दिनांक 01.03.2021 को समाप्त हो रहा है। उक्त नगरपालिका के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नगरपालिका विद्याविहार का आम चुनाव कराया जाना है। आम चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	04.02.2021 (गुरुवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	09.02.2021 (मंगलवार) (प्रत्येक दिवस को, दिनांक 07.02.2021 (रविवार) को छोड़कर) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	10.02.2021 (बुधवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अन्तिम तिथि	12.02.2021 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	13.02.2021 (शनिवार)
6.	मतदान की तिथि	20.02.2021 (शनिवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	22.02.2021 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

अध्यक्ष के लिए

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	23.02.2021 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	24.02.2021 (बुधवार) प्रत्येक दिवस को प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	25.02.2021 (गुरुवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	26.02.2021 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	26.02.2021 (शुक्रवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	01.03.2021 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	01.03.2021 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

उपाध्यक्ष के लिए

1.	निर्वाचन की तिथि	02.03.2021 (मंगलवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय-सारणी	
	बैठक का प्रारम्भ	प्रातः 10.00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण	प्रातः 11.00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11.30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2.00 बजे तक
	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

नगरपालिका विद्याविहार के 25 वार्डों के लिए कुल 25 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा।

नगरपालिका विद्याविहार की दिनांक 19.11.2020 को अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली में कुल 7828 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 4019 पुरुष मतदाता एवं 3809 स्त्री मतदाता हैं। मतदाता सूची के निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में नाम जोड़ने हेतु प्रदान किए गए निर्देशों के क्रम में निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर मतदाताओं की संख्या में वृद्धि संभव है।

- मतदाताओं की पहचान

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य के लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो मतदान के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल हैं।

- अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियन्त्रण करने के लिए आयोग के आदेश दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं, जिसके अनुसार नगरपालिका सदस्य के लिए 1,00,000/- निर्धारित की गई है। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) या इनके द्वारा नामांकित अधिकारी से वाहन के सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

- कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु गाईडलाईन

आयोग द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न गतिविधियों यथा ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) मतदान दलों के प्रशिक्षण, नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा एवं नाम वापसी, चुनाव प्रचार, मतदान तथा मतगणना संबंधी चुनाव कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्मिकों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों एवं मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु नगर निगम के चुनाव के लिए गाईडलाईन जारी की गई है। यह गाईडलाईन इन चुनावों में भी लागू रहेंगी।

निर्वाचन गतिविधियों में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से आयोग की अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार तथा आयोग द्वारा जारी की गई गाईडलाईनों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Suo Moto Writ Petition (civil) No.07/2020 में दिनांक 18.12.2020 को पैरा 12-14 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करें।

- आदर्श आचरण संहिता

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगरपालिका विद्याविहार में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। आयोग द्वारा राज्य सरकार को आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

चित्रा
(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
दिनांक: 29.01.2021

क्रमांक: एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2021/ 774-78
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक/राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।

अशोक कुमार जैन
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव